

## हरियाणा में छठे चरण में होगा लोकसभा आम चुनाव का मतदान

**29 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना, नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 मई, 2024**

**नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार अपने साथ ला सकेंगे अधिकतम 4 लोग**

**उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक**

**समाचार गेट ब्यूरो**

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मतदान राज्य में छठे चरण में 25 मई, 2024 को होगा। इसके लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 मई, 2024 है। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक

रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनावों के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च की अनुमति है। इसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव खत्म होने के एक माह के अंदर-अंदर आयोग को चुनाव खर्च का ब्यौता देना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सिक्कोरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपये है। सिक्कोरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। बैंक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और आरओ द्वारा सभी दस्तावेजों को सुक्ष्मि तरीके से रखा जाएगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है तथा 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा।

**उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक**  
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए उम्मीदवार को फॉर्म-26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, संबंधित राजनीतिक पार्टी को भी उम्मीदवार के आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। उन्होंने कहा कि नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी अनिवार्य है।

### लोकसभा आम चुनावों में हरियाणा में कम से कम 75 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि राज्य में 25 मई, 2024 को होने वाले लोकसभा आम चुनावों के मतदान में नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे इसके लिए नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा आम चुनावों में राज्य में लगभग 70 प्रतिशत मतदान हुआ था, जोकि राष्ट्रीय औसत से अधिक था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि राज्य में कम से कम 75 प्रतिशत मतदान हो। श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने हेतु भारतीय डाक विभाग व इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को संदेश देना है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी अहम है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 62 बेंकों की लगभग 5600 से अधिक शाखाओं का बड़ा नेटवर्क है। बेंकों के सहयोग से एटीएम व शाखाओं में पोस्टर व स्टीकर इत्यादि चस्पा किए जाएंगे और बेंकों में आने वाले नागरिकों को मतदान करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार का थीम चुनाव का पर्व-देश का गर्व है, इसलिए नागरिकों के मताधिकार के प्रयोग के बिना यह पर्व अधूरा है। जनता को हर पाँच वर्ष बाद यह अवसर मिलता है, इसलिए इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हरियाणा में इस बार 1 करोड़ 98 लाख 29 हजार 675 पंजीकृत मतदाता हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि प्रत्येक मतदाता बिना प्रलोभन व भय के अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। राज्य में 19812 मतदान केंद्र हैं।

## देश में तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में जंग चल रही, लेकिन अंत में जीत लोकतंत्र की होगी : दीपेन्द्र हुड्डा

**समाचार गेट ब्यूरो**  
रोहतक, 22 मार्च। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने आज 'घर-घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस' अभियान के तहत रेलवे रोड इलाके में डोर टू डोर संपर्क कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनका हाल-चाल पूछा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कार्यशैली तानाशाही की पराकाष्ठा है। देश में तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में जंग चल रही है लेकिन अंत में जीत लोकतंत्र की ही होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन जैसे जरूरी मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही देश के सरकारी तंत्र, सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लगातार विपक्ष को निशाने पर ले रही है और विपक्ष को कुचलकर कमजोर करने के प्रयास कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता के अहंकार में ऋष्टकसरकार प्रजातंत्र पर रोज प्रहार कर रही है।

दीपेन्द्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के इशारे पर चुनाव से ठीक पहले देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर उसे आर्थिक रूप से अक्षम करने की कोशिश सीधे-सीधे लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जो नेता सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलने की कोशिश करता है उस पर पूरा सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। वहीं यदि विपक्ष का कोई नेता भाजपा में शामिल हो जाता है तो ईडी, सीबीआई के तमाम मुकदमे ठंडे बस्ते



में चले जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई कारोबारी ईडी रेड के बाद इलेक्टोरल बान्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा दे देता है तो उसके भी मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस चुनाव में जनता सत्ता परिवर्तन करेगी। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अपने कार्यकाल और वर्तमान बीजेपी सांसद के कार्यकाल में कामों की तुलना को सामने रखते हुए बताया कि रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के 6 संस्थान उन्हींने बनवाए। जिनमें IIM, AIIMS-2 बाढ़सा, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (CRIYN), FDDI, IHM, IIT प्रमुख हैं। इसके अलावा 5 नये विश्वविद्यालय जिसमें

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, MSME प्रौद्योगिकी केन्द्र (टूल रूम), न्यूक्लीयर साइंस यूनिवर्सिटी (GCNEP), स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एण्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी (मीरपुर) शामिल हैं। रोहतक लोकसभा में 18 नये सरकारी महाविद्यालय, 18 नयी सरकारी ITI, 8 नये सरकारी पॉलीटेक्निक, भाकली और मतनहेल में 2 नये केंद्रीय विद्यालय, 2 नये इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 सैनिक स्कूल, 200 से ज्यादा नये सरकारी स्कूल और सैंकड़ों स्कूल अपग्रेड कराए। उन्होंने बताया कि विभिन्न गांवों में 120 नये खेल स्टेडियम (राष्ट्रीय-राज्य स्तरीय-ग्रामीण- (1+3+116), भारत सरकार के 2 SAI स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बने। 4 सुपर स्पेशलिटी

अस्पताल (AIIMS 2, NCI, PGI रोहतक का विस्तार, महाराज अग्रसेन), गांव शहर में 68 नये अस्पताल बने, बहादुरगढ़ तक नई मेट्रो शुरू हुई, 4 नयी ट्रेन सेवा चालू कारवाई, 2 नई रेलवे लाइन (230 कि मि), 20 ROB का निर्माण कराया। 3 नयी IMT बनी, 30 नये बड़े उद्योग लगे, 2 बिजली के नये थर्मल पावर प्लांट लगे, 12 राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) मंजूर (1080 KM), PMGSY + NCRPB को सड़कें 785+383 KM, 718 पेयजल परियोजनाएं और 30706 गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिलवाए। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर जो मंजूरीशुदा काम रहे हुए हैं उन्हें युद्ध स्तर पर पूरा कराएंगे और विकास के मामले में हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाएंगे।

### अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में कोर्ट ने सात दिनों की ईडी हिरासत में भेजा



**समाचार गेट ब्यूरो**  
नई दिल्ली। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सात दिन की रिमांड दे दी। केजरीवाल को गुरुवार को रात में गिरफ्तार किया था। आज उन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम गुरुवार की शाम को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और सच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को कथित घोटाले में किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता बताया। ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल साउथ ग्रुप, पिछले साल गिरफ्तार किए गए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पदाधिकारी विजय नायर सहित अन्य आरोपियों के बीच मध्यस्थ थे।

## बत्रा हॉस्पिटल ने मनाया होली का त्योहार समाजसेवा के साथ

**समाचार गेट ब्यूरो**  
होली के त्योहार पर बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद ने एक अच्छी पहल की है जिसके तहत समाज सेवा में एक विशेष योगदान निभा रहे बत्रा हॉस्पिटल के द्वारा होली के अवसर पर दो दिन के लिए रक्त के सभी परीक्षणों पर 50% की छूट दी जा रही है यह सुविधा केवल 23 और 24 मार्च तक के लिए है।

**BATRA HEART & MULTISPECIALITY HOSPITAL**  
BATRA HOSPITAL FARIDABAD  
is Celebrating **Holi** FESTIVE OFFER  
**FLAT 50% DISCOUNT**  
**ALL BLOOD INVESTIGATION**  
\*offer valid on 23th - 24th March 2024 on OPD Patients  
**R.K. BATRA GROUP** Contact Us :  
info@batrahealthcare.com **81820 42042**  
Health Site, Spring Field Colony, Sector 31-32, Faridabad - 121003 (HR)

**आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं**  
**Happy Holi**  
**लुकमान रमीज**  
**जोनल अध्यक्ष माइनोरिटी डिपार्टमेंट हरियाणा प्रदेश**  
**कोर्डिनेटर हरि० प्रदेश जिला मेवात प्रभारी ओबीसी सेल**

**GAMBHIRA PUBLIC SCHOOL**  
Education For Excellence  
**WE PREPARE STUDENT FOR COMPETITIVE EXAMS IN A SMART WAY.**  
**A GOOD START CAN MAKE EVERYTHING POSSIBLE**  
**Our CLASSROOM is sprinkled with LEADERS**







# जिला में सुनिश्चित की जाए प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना : जिलाधीश नेहा सिंह

समाचार गेट/सचिन भारद्वाज  
होडल। जिलाधीश नेहा सिंह ने चुनाव अवधि के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक दलों द्वारा दीवार लेखन, पोस्टर/कागज चिपकाना, कटआउट को खड़ा करना आदि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश नेहा सिंह ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सख्त से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सरकारी/अर्द्ध सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश/हार्डिंग/पोस्टर/बाल पेंटिंग



नहीं लगी होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम-1996 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जारी निर्देशों के तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति

या सरकारी परिसर अर्थात कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों, संगठनों, उम्मीदवारों डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करें। सभी राजनीतिक दल या उम्मीदवारों को

यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी व्यक्तिगत भूमि, भवन, परिसर, दीवार आदि पर वे स्वयं या उनके समर्थकों द्वारा झंडे, बैनर, नोटिस न लगाए जाएं तथा स्लोगन न लिखे जाएं। ऐसा करना संपत्ति के प्रतिरूपण के तहत आता है तथा इसका दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 426, 427 व 433 एवं दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हरियाणा सम्पत्ति प्रतिरूपण रोकथाम अधिनियम एवं नगर पालिका कानूनों के तहत भी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन द्वारा सम्पत्ति प्रतिरूपण के मामलों में प्रचार सामग्री हटाने पर होने वाले खर्च को भी संबंधित राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार अथवा संबंधित व्यक्ति से वसूलेगा।

# होली पर्व के मद्देनजर किए व्यापक पुलिस प्रबंध, होली पर हड़दंग किया तो खैर नहीं : डॉ अंशु सिंगला

समाचार गेट/सचिन भारद्वाज  
होडल। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि होली व धूलहेंडू पर्व के मध्यनजर जिला पुलिस अधीक्षक पलवल डॉ अंशु सिंगला, आईपीएस के आदेशानुसार जिले में मुस्लेदी बरती जा रही है। सभी थाना व चौकी प्रभारियों को सतर्कता के साथ अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करने के आदेश जारी किए गए हैं साथ ही रात्रि गश्त बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जिले भर में प्रत्येक थाना व चौकियों के अंतर्गत 61 चिन्हित जगहों पर नाके/गस्त लगाए गए हैं। क्षेत्र में गश्त करने हेतु पीसीआर व राईडरों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला उपयुक्त महोदया द्वारा भी ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को नियुक्त किया गया है। जिनसे हर संपर्क साधकर स्थिति पर नियंत्रण रखा जाएगा। होली पावन पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला ने जिला वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा

कि नशे से युवा बर्बाद हो रहा है और समाज और देश के विकास में नशा सबसे बड़ी बाधा है। नशा की समस्या एक सामाजिक समस्या है इसलिए समाज के सभी लोगों को पलवल नशा मुक्त अभियान में अहम भूमिका निभानी होगी। उन्होंने आमजन से आह्वान किया है कि होली पर नशे जैसी बुराई का दहन कर पूरी तरह नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज बनाने की शपथ लें।  
नशे का सामान बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई  
जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे होली के पर्व को देखते हुए नशा तस्करों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसी के साथ सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे मेडिकल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि वह किसी भी सूत में मेडिकल से जुड़ा नशे का सामान न बेचें। लोग



नशा बेचने वालों की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1800-120-7229 पर दे सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। सूचना देने वालों का नाम पुलिस पूरी तरह से गुप्त रखेगी। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला द्वारा सभी थाना प्रबंधक व चौकी प्रभारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि होली पर शरारती तत्व व अफवाहों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। स्वयं अपने-अपने इलाके में पड़ने वाले मुख्य बाजार, चौक-चौराहे, होटल-ढाबे, धर्मशाला-मस्जिदों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर पैनी नजर बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि इन जगहों पर कोई संदिग्ध व्यक्ति न ठहरे। पुलिस अधीक्षक महोदया ने जिला वासियों को रंगो से भरने की पुनः हार्दिक शुभ कामनाएं देते हुए अपील की है कि सद्भाव से तयौहार मनाएं। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नजर आए तो उस स्थान को खाली कर भीड़ एकत्रित न होने दें और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

# लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने के लिए जिला पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च

समाचार गेट/सचिन भारद्वाज  
होडल। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला के कुशल निर्देशन में 25 मई 2024 को आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए शुक्रवार को पलवल पुलिस व पैरामिलिट्री की संयुक्त टीमों ने मिलकर पलवल के क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पलवल पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर पलवल बस स्टैंड, मीनार गेट, कमेट्टी चौक, अलावलपुर चौक, माल गोदाम रोड एरिया में जिला पुलिस एवं एक कंपनी आइटीबीपी के जवानों ने



मिलकर ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य लोगों में विश्वास दिलाना है कि जिला पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स की टीम आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। फ्लैग मार्च के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ भयमुक्त मतदान करने का संदेश दिया गया है इस दौरान जिला पुलिस लाइन प्रबंधक इंस्पेक्टर मलखान सिंह, चौकी बस अड्डा प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश कुमार सहित आइटीबीपी की कंपनी मौजूद रही।

# अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार

समाचार गेट/सचिन भारद्वाज  
होडल। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला, पुलिस अधीक्षक पलवल के कुशल नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान शराब तस्करी पर प्रहार करते हुए अवैध शराब तस्करों की धरपकड़ के संबंध में चलाया हुआ है। इसी मुहिम के अंतर्गत दिनांक 20 मार्च 2024 को क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी निरीक्षक उमर मोहम्मद की टीम में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सदर पलवल क्षेत्र अंतर्गत गांव दीघोत निवासी युवक को अपने घर के आगे तख्त के नीचे प्लास्टिक तिरपाल के निचे रखकर शराब बेचते दबोचने में कामयाबी हासिल की। आरोपी से 160.5 बोलत देसी अवैध शराब, 135.5 बोलत विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी अवैध शराब तथा 90 बोलत वियर कुल 32 पेटी शराब बरामद की। वहीं दूसरे मामले में क्राइम ब्रांच होडल में तैनात हेड कांस्टेबल सुंदर ने थाना होडल क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी मोड़ होडल से एक आरोपी को 47 पक्वा अवैध देसी शराब मार्का मस्ताना सहित धर दबोचा। इसी प्रकार तीसरे मामले में होडल थाना अंतर्गत चौकी में तैनात



हेड कांस्टेबल मानसिंह ने अंधवा पट्टी होडल से एक आरोपी को 44 पक्वा अवैध देसी शराब मार्का मस्ताना सहित काबू किया। उपरोक्त मामलों में आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीबद्ध कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

# चुनाव के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग को लेकर जिलाधीश धीरेंद्र खड्गटा ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

समाचार गेट/अनिल मोहनियां  
नूह। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड्गटा ने भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों और जिला नूह में चुनाव अभियानों के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आदेशों में कहा है कि चुनाव अवधि के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन विषम समय में और विषम स्थानों पर बहुत अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग से शांति प्रभावित होती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला में लाउडस्पीकरों के उपयोग को सख्ती से विनियमित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर अथवा कोई भी ध्वनि एम्पलीफायर,

**वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी।**  
**सख्ती से करना होगा नियमों का पालन, अन्यथा होगी कार्यवाही।**



पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए अनुमति लेनी जरूरी है। यह अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के पीसी/एअरओ और उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी नूह से लेनी होगी। सभी वाहनों पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उनके द्वारा प्राप्त

परमिट का पूरा विवरण लिखित रूप में देना होगा। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए परमिट देने वाले प्राधिकारी और पुलिस प्राधिकारी सख्ती से यह लागू करेंगे कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करके किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाए। यदि किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार द्वारा लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है तो लाउडस्पीकर और उसके साथ लगे सभी उपकरणों को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों का उल्लंघन होने या अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

**FUTURE CAR**  
DRIVE YOUR DREAMS

**ROHIT VERMA** **9891124671**

**PURCHASE**  
**SALE**  
**INSURANCE**  
**EXCHANGE**  
**FINANCE**

**NEAR RAMA DOORS, OPP CNG STATION BYPASS ROAD, SECTOR-9 FARIDABAD**

**RAMA SALES CORPORATION**  
AUTH. DEALER  
**JANATICS**  
AUTH. DEALER

- AIR PREPERATION UNITS
- AIR CYCLINDERS
- PNEUMATIC/SELENOID VALVES
- ONE - TOUCH FITTINGS
- P.U. TUBE
- FLAME PROOF VALVES
- AUTO DRAIN VALVES
- MIST SEPERATOR

**GT-53, SECTOR-70, NOIDA, G.B. NAGAR-201301, (UP) INDIA**  
PH. 0120-6494596, 8800200662  
E-mail- rscnoida@yahoo.com  
**RAHUL YADAV** **9810206630**

**INVESTORS SMILE**  
IN NCR **NCR NO.1**

DEALS TO ALL TYPES OF  
**FLATS**  
**PLOTS**  
**RESEDENTIAL**  
**COMMERCIAL**

**AGRICULTURE**  
**INDUSTRIAL**  
**LOAN etc**  
IN NCR

**9899403449** **9810796736**





